प्रेषक,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

सेवा में,

सचिव,
आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

संख्याः–1714/तेरह–आ0प्र0प्राधि0/2020 दिनांक30नवम्बर, 2020

विषयः– गौमुख क्षेत्र के संयुक्त सर्वेक्षण आख्या प्रेषित किये जाने सम्बन्धी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपदा प्रबन्धन अनुभाग–01, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 93/W/XVIII-B-1/20-11(18)/2017 T.C दिनांक 23 नवम्बर, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के क्रम में गौमुख के मुहाने पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर के पास कृत्रिम झील बनने के सम्बन्ध में क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किये जाने हेतु तैनात दल द्वारा दिनांक 25.11.2020 से 29.11.2020 के मध्य उक्त क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है।

अतः उक्त दल द्वारा प्रस्तुत संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या/फोटोग्राफ/वीडियोग्राफ सहित मूलरूप से संलग्न कर सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्न–यथोपरि

भवदीय,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

प्रतिलिपिः– अधिशासी निदेशक, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, सचिवालय, परिसर उत्तराखण्ड शासन देहरादून की सेवा में मय आख्या/फोटोग्राफ सहित सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

CamScanner

:: संयुक्त निरीक्षण आख्या ::

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–01, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–93/W/XVIII-B-1/20-11(18)/2017 T.C दिनांक 23 नवम्बर, 2020 में उल्लिखित गौमुख के मुहाने पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर के पास बनी कृत्रिम झील के पास से मलवा तथा पत्थर इत्यादि को हटाये जाने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में दायर याचिका संख्या–148/2017 के क्रम में अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी के आदेश संख्या 1704/तेरह–आ0प्र0प्राधि0/2020–21 दिनांक 24 नवमबर, 2020 द्वारा जनपद स्तर से अधिकारियों/कर्मियों को नामित कर प्रश्नगत क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 25.11.2020 से 29.11.2020 के मध्य किया गया। जिसमें शासन एवं जनपद स्तर से निम्न प्रकार से अधिकारी/कर्मियों को नामित कर उनके द्वारा गौमुख ग्लेशियर क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया–

1. श्री अनिल कुमार, संयुक्त निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड।
2. श्री सुशील खण्डूरी, भू–वैज्ञानिक, उत्तरखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून।
3. श्री प्रताप सिंह पंवार, वन क्षेत्राधिकारी, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, उत्तरकाशी।
4. श्री रवि चौहान (एल0एफ0एम0) टीम लीडर, एस0डी0आर0एफ0, देहरादून।
5. श्री चैन सिंह रावत, मुख्य प्रशिक्षक, आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।
6. श्री मस्तान भण्डारी, मुख्य प्रशिक्षक, आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।
7. श्री विरेन्द्र सिंह राणा, अपर सहायक अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी।

उपरोक्त दल के साथ निम्न प्रकार से अन्य सहायक कर्मियों द्वारा भी स्थलीय निरीक्षण में सहयोग किया गया–

1. श्री राजवीर सिंह रावत, वन दरोगा, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, उत्तरकाशी।
2. श्री सुरेश पंवार, प्रबन्धक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, गांगोत्री।
3. श्री इन्द्र मोहन नेगी, प्रबन्धक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, भोजवासा।
4. श्री खेमराज सिंह, वन रक्षक, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, उत्तरकाशी।
5. श्री दीपक पंत (का0), एस0डी0आर0एफ0, देहरादून।
6. श्री सूर्यकान्त उनियाल (का0), एस0डी0आर0एफ0, देहरादून।
7. श्री गौतम चन्द (का0), ड्रोन ऑपरेटर, एस0डी0आर0एफ0, देहरादून।
8. श्री विजेन्द्र कुड़ियाल, (का0), एस0डी0आर0एफ0, देहरादून।
9. श्री संजय चौहान, फार्मेसिस्ट, एस0डी0आर0एफ0, देहरादून।
10. श्री गोपाल राणा, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, गांगोत्री।
11. श्री शरत सिंह पंवार, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, गांगोत्री।
12. श्री मनोज सिंह, वाहन चालक, एस0डी0आर0एफ0, देहरादून।
13. श्री नितिन प्रताप, वाहन चालक, एस0डी0आर0एफ0, देहरादून।

क्रमशः........................2

CamScanner

उपरोक्त निरीक्षण दल द्वारा गौमुख क्षेत्र के स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाया गया कि जनपद उत्तरकाशी में अवस्थित गौमुख ग्लेशियर क्षेत्र में वर्तमान में किसी प्रकार की कृत्रिम झील नहीं बनी है तथा उक्त क्षेत्र में भागीरथी नदी अपने प्राकृतिक बहाव क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है। उक्त क्षेत्र में वर्तमान में कोई सक्रीय भूस्खलन नहीं है, जिससे आगामी मानसून में किसी भी प्रकार के खतरे की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। नदी के प्रवाह से भविष्य में किसी आसन्न संकट के दृष्टिगत किसी भी प्रकार के खतरे एवं मलवा/पत्थर हटाये जाने की आवश्यकता वर्तमान में प्रतीत नहीं होती है। उक्त क्षेत्र के विस्तृत ड्रोन वीडियाग्राफी/फोटोग्राफ्स संलग्न है।

अतः निरीक्षण आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

(चैन सिंह रावत)
मुख्य प्रशिक्षक,
आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
उत्तरकाशी।

(रवि चौहान)
टीम लीडर,
एस0डी0आर0एफ0,
देहरादून।

(प्रताप सिंह पंवार)
वन क्षेत्राधिकारी,
गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क,
उत्तरकाशी।

(सुशील खण्डूरी)
भू–वैज्ञानिक,
यू0एस0डी0एम0ए0,
देहरादून।

(अनिल कुमार)
संयुक्त निदेशक,
भू–तत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उत्तराखण्ड।

CamScanner

::आदेश::

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–01, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–93/W/XVIII-B-1/20-11(18)/2017 T.C दिनांक 23 नवम्बर, 2020 में उल्लिखित गौमुख के मुहाने पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर के पास बनी कृत्रिम झील के पास से मलवा तथा पत्थर इत्यादि को हटाये जाने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में जनहित याचिका संख्या–148/2017, अजय गौतम बनाम् उत्तराखण्ड राज्य व अन्य दायर है। उक्त जनहित याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.07.2018 एवं 17.11.2020 में इंगित किये गये बिन्दुओं के क्रम में जनपद के गौमुख क्षेत्र में बनी कृत्रिम झील तथा उससे उत्पन्न होने वाले खतरें एवं मलवा/पत्थर हटाये जाने के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण हेतु शासन द्वारा 05 सदस्यीय दल का गठन किया गया है।

उक्त निरीक्षण दल में जनपद स्तर में उप निदेशक, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, उत्तरकाशी द्वारा नामित प्रतिनिधि को भी सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त दल के आवश्यक समन्वय हेतु निम्न प्रकार से अधिकारियों एवं कर्मियों को नामित किया जाता है–

1. श्री चैन सिंह रावत, मास्टर ट्रेनर, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।
2. श्री मस्तान भण्डारी, मास्टर ट्रेनर, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी द्वारा नामित प्रतिनिधि।

शासन के निर्देशानुसार उक्त निरीक्षण दल का प्रश्नगत क्षेत्र का भ्रमण कार्यक्रम दिनांक 25.11.2020 से दिनांक 27.11.2020 तक किया जाना निर्धारित है।

अतः उपरोक्त निरीक्षण दल हेतु नामित सदस्यओं को निर्देशित किया जाता है कि आवश्यकतानुसार गौमुख क्षेत्र का भ्रमण करते हुये प्रश्नगत प्रकरण की स्थलीय निरीक्षण आख्या, वीडियोग्राफी/फोटोग्राफ्स सहित प्रत्येक दशा में दिनांक 28.11.2020 से पूर्व शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या–1704/तेरह–आ0प्र0प्राधि0 2020–21 दिनांक-24 नवम्बर, 2020

प्रतिलिपिः– निम्नाकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, आपदा प्रबन्धन (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी निदेशक यू॰एस॰डी॰एम॰ए॰,उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. उप निदेशक, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, उत्तरकाशी को इस आशय से प्रेषित की उपरोक्तनुसार निरीक्षण दल हेतु अधिकारी नामित करते हुये निरीक्षण हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्थायें करना सुनिश्चित करेंगे।
5. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. क्षेत्रीय प्रबन्धक, गढवाल मण्डल विकास निगम को गंगोत्री एवं भोजवासा में दल के आवासीय व्यवस्था हेतु प्रेषित।
7. आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी को उक्त हेतु आवश्यक समन्वय/कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।

CamScanner